



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



सं.- एचआरएम-1/ए-8(1)2025/आरपीएफसी-1/829

दिनांक: 03.11.2025

कार्यालय आदेश

विषय : नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 में क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त, ग्रेड-I के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ग्रेड-I के पद पर पदोन्नति हेतु 12.02.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसाओं पर, माननीय अध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि., निम्नलिखित अधिकारियों को पैनल वर्ष 2025 के लिए नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ग्रेड-I के पद पर नियुक्ति को सहर्ष अनुमोदित करते हैं।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)
1.	सुमेर रत्नू, क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त - I (तदर्थ)
2.	अमित कुमार बाजपेयी, क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त - I (तदर्थ)
3.	बृजमोहन सिंह, क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त - I (तदर्थ)

- नियमित पदोन्नति होने पर श्री सुमेर रत्नू, श्री अमित कुमार बाजपेयी एवं श्री बृजमोहन सिंह का तैनाती स्थान दिनांक 28-10-2025 के कार्यालय आदेश संख्या एचआरएम-1/टी-1(1)2025/पार्ट 1/809 के अनुसार होगा। नियमित पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
- अधिकारियों की वरिष्ठता कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ (वरिष्ठता निर्धारण) विनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त, ग्रेड-I के संवर्ग में विनियमित की जाएगी।
- वेतन निर्धारण के संबंध में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा - "ऐसे मामलों में जहाँ तदर्थ पदोन्नति के बाद बिना किसी अंतराल के नियमित नियुक्ति होती है, यह विकल्प प्रारंभिक नियुक्ति या पदोन्नति की तिथि से स्वीकार्य होगा, जिसका प्रयोग ऐसी नियमित नियुक्ति की तिथि से एक माह के भीतर किया जाना है।"
- उपर्युक्त अधिकारियों की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ग्रेड-I के रूप में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट, संबंधित कार्यालय द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन, मुख्यालय को rc1.hrm@epfindia.gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इसे एच आर-सॉफ्ट पोर्टल पर भी अद्यतन किया जाएगा।
- उपर्युक्त अधिकारियों की पदोन्नति माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना के समक्ष दायर ओए नंबर 435/2021 (संबंधित एमए) और माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना पीठ के समक्ष दायर सीपी नंबर 19/2024 के परिणाम के अधीन है।

(इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।)

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त - I (मा.सं.प्र.-1)

सेवा में,

संबंधित अधिकारी

प्रतिलिपि (क.भ.नि.सं. की वेबसाइट के माध्यम से) -

1. माननीय अध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. के सचिव।
2. सचिव (श्रम एवं रोजगार) के प्रधान निजी सचिव।
3. कें.भ.नि.आ. के निजी सचिव।
4. वि. सला. एवं मु. ले. अधि. /मु. सत. अधि./अ. कें.भ.नि.आ. (मुख्या.)/ निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
5. सभी अ. कें.भ.नि. आयुक्त, मुख्या. और अंचल/ मुख्य अभियंता।
6. सभी क्षेत्र.भ.नि. आयुक्त (क्षेत्रीय कार्यालय) प्रभारी/ क्षेत्र.भ.नि. आयुक्त-1 (प्रशा.)/ क्षेत्र.भ.नि. आयुक्त (एनडीसी)
7. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
8. सभी उप. निदेशक (सतर्कता)/ सभी आंचलिक लेखा परीक्षा दल/ आ. प्र. सं. के क्षेत्र.भ.नि.
9. महासचिव, क.भ.नि. अधिकारी एसोसिएशन, लुधियाना।
10. संबंधित अधिकारी की निजी फाइल।
11. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय गार्ड फाइल।

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त - 1 (मा.सं.प्र.-1)